विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम-गुरूवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर।

प्रश्न | **उत्तर**

10 (क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 01 जनवरी, 2024 तक स्वास्थ्य संबंधी कार्यो हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है और उनको किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है?

जनपद-वाराणसी के विभिन्न चिकित्सालयों हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 01 जनवरी, 2024 तक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों हेतु कुल रूपये 1,01,03,65,191/- (एक अरब एक करोड तीन लाख पैंसठ हजार एक सौ इक्यानवे मात्र) आवंटित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 01 जनवरी, 2024 तक आवंटित की गयी धनराशि	
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एस0एस0पी0जी0 मण्डलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी	10,17,66,816	2,85,08,586
2	जिला महिला चिकित्सालय, वाराणसी	3,35,09,319	3,41,77,908
3	पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी	28,74,44,213	3,47,96,760
4	मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी	1,93,65,674	24,32,76,926
5	लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर, वाराणसी	4,79,69,858	1,22,91,052
6	मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी	12,67,46,160	4,05,11,919
धनराशि योग		**61,68,02,040**	**39,35,63,151**
महायोग		**1,01,03,65,191/-**	
एक अरब एक करोड तीन लाख पैंसठ हजार एक सौ इक्यानवे मात्र			

उक्त आवंटित धनराशियों का सत्यापन सम्बन्धित चिकित्सालय के निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा किया गया है।

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

उपरोक्तानुसार।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री